



Form A

See Rule 3(1)

Application for Right To Information

Application No BR260207000085 (Office Use Only)



To,

Public Information Office
Department : Road and Construction Department

1. Applicant Name : Mayank Kumar
2. Address : First Floor
GaNGA Bigha Apartment
Munna cHowk , Park number 2
District - PATNA Block - PATNA SADAR Panchayat - None
Village - None Pin - 800020 State - Bihar

Information Sought

1. Please inform whether a Class-IV contractor is permitted to execute government works on the basis of registration issued in the name of another person/firm, by submitting only a Power of Attorney (POA). If yes, kindly provide the relevant rules, government orders, circulars, or guidelines permitting the same. If not, kindly provide the rules/provisions under which such practice is prohibited. 2. Please inform whether there is any financial limit prescribed for a Class-IV contractor regarding the maximum value of works that can be executed within one financial year. If yes, kindly specify the limit and provide a copy of the relevant rules/government orders/circulars.

Reply Remarks

--

I hereby declare that the Information I have asked for is related to your department/office and as per my knowledge it is not exempted under the sections 8 and 9 of RTI Act 2005.

I have paid Rs. 10/- to the Department / Office

Date : 07/02/2026

Applicant's Details

Email Id : mayankkrthakur@gmail.com

Contact : +91-8839166820

No.

Address : First Floor
GaNGA Bigha Apartment
Munna cHowk , Park number 2
District - PATNA Block - PATNA SADAR Panchayat -
None Village - None Pin - 800020 State - Bihar

224ms
40ms
09/02/26
सिद्धि शर्मा
09-02-2026

This is system generated file, need not to be signed

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई०डी०सं०-437 / 25-26 999(E)⁴² पटना, दिनांक-11/02/2026

प्रेषक:

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री मयंक कुमार का जानकारी सूचना आवेदन संख्या-BR260207000085 दिनांक-07.02.2026 जो इस कोषांग में दिनांक-09.02.2026 को प्राप्त हुआ है, (आई०डी०सं०-437 / 25-26) इसके साथ संलग्न किया जाता है :-

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा-5 (4) के आलोक में प्रपत्र-'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा-5 (5) के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र-'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के आलोक में वांछित सूचना दो सेट में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

लोक सूचना पदाधिकारी
दिनांक-11/02/2026

ज्ञापांक-999(E)

प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा), प्रभारी प्रशाखा-07, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

लोक सूचना पदाधिकारी
दिनांक-11/02/2026

✓

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०.....
दिनांक-.....

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं०सं०-प्र०-7/सू० अधि०-06-06/2026- 1435(E)We /पटना, दिनांक 23/02/2026

प्रेषक,

सहायक लोक सूचना पदाधिकारी
-सह-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- श्री मंयक कुमार का सूचना आवेदन सं०-BR260207000085 दिनांक-09.02.2026 (आई०डी०सं०-437/25-26) के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-999(E)We दिनांक-11.02.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से उपलब्ध कराये गये सूचना आवेदन द्वारा याचित सूचना के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कंडिका-3(क) के आलोक में अधिसूचना सं०-13589(S) दिनांक-13.12.2011 तथा अधिसूचना सं०-5932(S)We दिनांक-01.07.2015 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/02/26

सहायक लोक सूचना पदाधिकारी
-सह-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(SR)

30/02/2026
24/02/26

(5)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

संख्या-प्र0-0/निराग-03-04/2002

13580 (5)

/पटना, दिनांक 13.12.11

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अन्तर्गत श्रेणी 1, 2 एवं 3 में निबंधित संवेदक पूरे राज्य में निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम है। सरकार की मंशा है कि रुपये 25.00 लाख रुपये से कम लागत के कार्यों को स्थानीय स्तर (जिला स्तर) पर निबंधित संवेदकों से कराया जाय एवं रुपये 25.00 लाख से कम लागत के कार्यों से निबंधित श्रेणी 1, 2, एवं 3 के संवेदकों को अलग रखा जाय। तदनुसार पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-5737 (एस) दिनांक-07.05.2007 द्वारा निर्गत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007, तथा जो पत्र संख्या-13211 अनु० दिनांक-16.10.2008 द्वारा राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों के लिये लागू है, में संशोधन के साथ निम्नलिखित उपबंध किये जाते हैं :-

- (2) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-2 में श्रेणी-03 के बाद "श्रेणी-04" जोड़ा जाता है। यह श्रेणी "स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी" कहा जायेगा। श्रेणी-4 के अन्तर्गत निबंधित संवेदक 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख) तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिये सक्षम होंगे।
- (3) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-03 में श्रेणी-03 तथा श्रेणी-03 के लिए विहित निबंधन शुल्क के बाद श्रेणी-04 और श्रेणी-04 के लिये निबंधन शुल्क-5000.00 (पाँच हजार) रुपये जोड़ा जाता है।
- (4) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-04 की उप कंडिका-ख तथा उप कंडिका-ग के बाद क्रमशः उप कंडिका-घ, उप कंडिका-ड, तथा उप कंडिका-च के रूप में निम्न को जोड़ा जाता है :-

(घ) श्रेणी-04 के निबंधन हेतु कार्यपालक अशियंता से अन्यून किसी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किये गये हो, निबंधन पदाधिकारी होंगे।

(ड) श्रेणी-04 में संवेदक का निबंधन बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी एक जिला के लिये निबंधित होंगे, और उनका कार्य क्षेत्र यही जिला का क्षेत्र होगा, और वे उस जिले के अन्तर्गत 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये एवं उससे कम की राशि के लिये अन्य सरकारी विभागों/ निकायों में कार्य करने के लिये योग्य माने जायेंगे।

(च) 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी-04 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे अर्थात् अन्य श्रेणी-1,2,3 में निबंधित संवेदक 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये एवं उससे कम के कार्यों की निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

- (5) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-05 की उप कंडिका-"घ" तथा उप कंडिका-"च" के बाद क्रमशः उप कंडिका-"ड" तथा उप कंडिका-"ज" के रूप में निम्न को जोड़ा जाता है :-

(ज) प्रत्येक व्ययित/संवेदक जिस जिला के लिये निबंधन कराया चाहेंगे वे उसी जिला के अन्तर्गत स्थित पथ निर्माण विभाग के पथ प्रगंडल में निबंधन हेतु विहित आवेदन (निबंधन शुल्क सहित) जमा करेंगे।

20 (ज) निधारत शुल्क का बैंक ड्राफ्ट "कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग (संबंधित स्थान विशेष) के पक्ष में भुगतान हो।

उपर्युक्त के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 इस हद तक संशोधित समझे जायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Raj

13/12/11

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक प्र०-८/नियम-०३-०४/२००२ 13590(S) / पटना, दिनांक 13.12.11

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raj

13/12/11

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक प्र०-८/नियम-०३-०४/२००२ 13590(S) / पटना, दिनांक 13.12.11

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-७ को आगामी बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि उसकी एक हजार गजट प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

Raj

13/12/11

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक प्र०-८/नियम-०३-०४/२००२ 13590(S) / पटना, दिनांक 13.12.11

प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी निकाय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raj

13/12/11

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक प्र०-८/नियम-०३-०४/२००२ 13590(S) / पटना, दिनांक 13.12.11

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (शान्दोग उपभाग सहित) पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raj

13/12/11

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

संख्या:- प्र06/नियम-03-04/2002(फोल्डर) -- 5932 (S) W^{पटना}, दिनांक 1.7.15

पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-5737(एस) दिनांक 07.05.2007 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 निर्गत है जो विभागीय पत्र संख्या-13211(एस) अनु0 दिनांक 16.10.2008 द्वारा राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों के लिए भी लागू है। विभागीय अधिसूचना संख्या- प्र0 6/नियम-03-04/2002-13589(एस) दिनांक 13.12.2011 सहपठित जापांक 13590 (एस) दिनांक 13.12.2011 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम-2 में श्रेणी-3 के बाद श्रेणी-4 जोड़ा गया है तथा इस श्रेणी को स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी कहा गया है। श्रेणी-4 के अन्तर्गत निबंधित संवेदक जिस जिला में निबंधित हैं, उस जिला के 25 लाख तक के सभी कार्यों में निविदा देने के लिए सक्षम हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा श्रेणी-04 के संवेदकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-13589(एस) दिनांक-13.12.2011 में निम्न संशोधन किये जाते हैं :-

2.1 (3) स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी (श्रेणी-04) में निबंधन शुल्क के रूप में 2000.00 (दो हजार) रुपये देय होगा।

2.2 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्रियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2002 - (बिहार अधिनियम- 17/2002) के अन्तर्गत आरक्षण की पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला सदस्य निबंधन हेतु आवेदन पत्र (अनुलग्नक-1) में जाति का नाम, आरक्षित कोटि की सूचना अंकित करेंगे तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे। आरक्षित कोटि के संवेदक के ठीकेदारी निबंधन प्रमाण-पत्र में आरक्षित कोटि का उल्लेख रहेगा ताकि प्रत्येक बार निविदा के समय जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने की अनिवार्यता नहीं रहे।

2.3 आरक्षित कोटि के वैसे संवेदक, जिनका श्रेणी-04 में पूर्व से वैध निबंधन है, वे आरक्षित कोटि के लिए सुरक्षित कार्यों में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। परन्तु वैसे संवेदकों को निविदा के साथ अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

2.4 पंजीकरण के समय निम्नलिखित कागजात जमा करना होगा :-

- (क) प्रपत्र 'क' एवं 'ख' (अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) में आवेदन पत्र
 - (ख) PAN रजिस्ट्रेशन की अभिप्रमाणित प्रति
 - (ग) आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof) की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (घ) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट "कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग
- (संबंधित स्थान विशेष) के पक्ष में भुगतान हो।

df

(च) जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति जो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत हो।

2.5 (4)(क) श्रेणी-1, 2 एवं 3 के लिए निबंधन पाँच वर्षों के लिए अनुमान्य होगा। परन्तु स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी (श्रेणी-04) का निबंधन 10 वर्ष के लिए अनुमान्य होगा।

इस अवधि के दौरान श्रेणी दो एवं तीन में पंजीकृत संवेदक यदि चाहें तो श्रेणी एक में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निबंधित हो सकते हैं। ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रद्द समझा जाएगा।

2.6 (7) नवीकरण:- श्रेणी-1, 2 एवं 3 के लिए पाँच वर्ष के अवधि के बाद पुनः कंडिका 3 (बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के प्रासंगिक अधिसूचना) में दिये गये शुल्क को जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा। स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी (श्रेणी-04) के लिए 10 वर्ष की अवधि के बाद पुनः उक्त कंडिका 2.1 में प्रावधानित शुल्क जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा।

सभी श्रेणी हेतु नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन समाप्त होने के एक माह पूर्व दिया जाना होगा।

2.7 आवेदन पत्र:- इच्छुक आवेदक प्रपत्र-'क' (अनुलग्नक-1) में उल्लेखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगे। निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-'ख' में उल्लेखित निबंधन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

2.8 बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007, विभागीय अधिसूचना संख्या-13589 (एस) दिनांक 13.12.2011 एवं इससे संबंधित निर्गत अन्य सभी निदेश यथावत लागू रहेगा।

3. उक्त कंडिका-2 एवं संबंधित अन्य उपकंडिकाओं में निरूपित प्रावधान में परिलक्षित त्रुटि या कठिनाई का परिमार्जन करने तथा उपबंध के अनुरूप कार्यान्वयन संबंधित दिशा निदेश निर्गत करने हेतु पथ निर्माण विभाग प्राधिकृत होगा।

अनु0-यथोक्त।

(रमा कान्त प्रसाद)

संयुक्त सचिव(प्र0को0)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:प्र06/नियम-03-04/2002(फोल्डर) 5933(S) पटना, दिनांक 1.7.15

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनाथ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(रमा कान्त प्रसाद)

संयुक्त सचिव(प्र0को0)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रपत्र 'घ'
(सूचना उपलब्ध कराना)
(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई०डी०सं०-437 / 25-26

पटना, दिनांक-25/02/2026

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री मंयक कुमार,

First Floor Ganga Bigha Apartment,
Munna Chowk, Park No-2,
Block-Patna Sadar,
Dist-Patna, Pin-800020,
Mo-8839166820

महाशय,

यह आपके जानकारी सूचना आवेदन संख्या-BR260207000085 दिनांक-07.02.2026 जो इस कोषांग में दिनांक-09.02.2026 को प्राप्त हुआ है, (आई०डी०सं०-437 / 25-26) में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :-

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1435 (ई)अनु० दिनांक-23.02.2026 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक-1516(E)

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लोक सूचना पदाधिकारी
पटना, दिनांक-25/02/2026

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरोक्त निर्गत
पंजीयन सं०.....
दिनांक-.....